

छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था(प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008

बी0ए0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0 एवं बी0एन0वाय0एस0
पाठ्यक्रम में अंतरिम फीस का निर्धारण संकल्प दिनांक ०८/०९/२०२२
के तहत किया जा रहा है ।

संकल्प दिनांक ०८/०९/२०२२

छ०ग० निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था(प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में संचालित बी०ए०एम०एस०, बी०एच०एम०एस०, बी०यू०एम०एस० एवं बी०एन०वाय०एस० पाठ्यक्रम में फीस का निर्धारण 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के लिए किया जाना है । उक्त पाठ्यक्रम संचालित संस्थाओं से प्रोसेसिंग फीस एवं जानकारी बुलायी जावें । प्रोसेसिंग फीस एवं जानकारी जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् संस्थाओं का निरीक्षण भी किया जाना होगा, इसलिए नियमित शुल्क के निर्धारण में समय लग सकता है ।

अतः वर्तमान में निजी शिक्षण संस्थाओं में संचालित बी०ए०एम०एस०, बी०एच०एम०एस०, बी०यू०एम०एस० एवं बी०एन०वाय०एस० पाठ्यक्रम में फीस का निर्धारण अंतरिम स्वरूप का ही किया जाना यह समिति उपयुक्त पाती है ।

1. छ०ग० निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था(प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 की धारा 9(1) एवं (2) के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नांकित निजी मेडिकल कॉलेजों में संचालित बी०ए०एम०एस०, बी०एच०एम०एस०, बी०यू०एम०एस० एवं बी०एन०वाय०एस० पाठ्यक्रम में अंतरिम फीस का निर्धारण उनके नाम के सम्मुख दर्शाएं अनुसार शिक्षण क्षेत्र 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के लिए किया जाता है:







...2...

2. बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम में अंतरिम फीस का निर्धारण शिक्षण सत्र 2022- 2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के लिए निम्नानुसार किया जाता है:

स0 क्र0	निजी बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम संचालित मेडिकल कॉलेजों के नाम	Total Fees(Inclusive of Growth & Development Charges and all other misc. fees per year/per student)
1	राजीव लोचन आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, चंद्रखुरी, गुण्डरदेही रोड़ दुर्ग छ0ग0	Rs. 1,28,315/-
2	छत्तीसगढ़ आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, ग्राम-मनकी, गुण्डरदेही रोड़ दुर्ग छ0ग0	Rs. 1,28,315/-
3	भारती आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, दुर्ग छ0ग0	Rs. 1,28,315/-
4	महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेद साईस सुन्दरा राजनांदगांव छ0ग0	Rs. 1,28,315/-

3. बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रम में अंतरिम फीस का निर्धारण शिक्षण सत्र 2022- 2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के लिए निम्नानुसार किया जाता है:

स0 क्र0	निजी बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रम संचालित मेडिकल कॉलेजों के नाम	Total Fees(Inclusive of Growth & Development Charges and all other misc. fees per year/per student)
1	छदामी लाल चौकसे मेमोरियल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेंटर लाल खदान, बिलासपुर	Rs. 66,129/-
2	रायपुर होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, रामकुण्ड चौबे कालोनी रायपुर छ0ग0	Rs. 66,129/-
3	महाराणा प्रताप होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर छ0ग0	Rs. 63,129/-

Bobbi Akshay

de

de

...3

...3...

4. बी०एन०वाय०एस० पाठ्यक्रम में अंतरिम फीस का निर्धारण शिक्षण सत्र 2022- 2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के लिए निम्नानुसार किया जाता है:

स० क्र०	निजी बी०एन०वाय०एस० पाठ्यक्रम संचालित मेडिकल कॉलेज का नाम	Total Fees(Inclusive of Growth & Development Charges and all other misc. fees per year/per student
1	श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, राधिका नगर सुपेला भिलाई छ०ग०	Rs. 62,629/-

5. बी०यू०एम०एस० पाठ्यक्रम में अंतरिम फीस का निर्धारण शिक्षण सत्र 2022- 2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के लिए निम्नानुसार किया जाता है:

स० क्र०	निजी बी०यू०एम०एस० पाठ्यक्रम संचालित मेडिकल कॉलेज का नाम	Total Fees(Inclusive of Growth & Development Charges and all other misc. fees per year/per student
1	मोहसिने मिल्लत यूनानी मेडिकल कॉलेज, ग्राम-खुटेरी, मंदिर हसौद रोड़, रायपुर छ०ग०	Rs. 66,900/-

चूंकि बी०ए०एम०एस०, बी०एच०एम०एस०, बी०एन०वाय०एस० एवं बी०यू०एम०एस० पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी काउंसिलिंग की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ होनी है, इसलिए छात्रहित को ध्यान में रखते हुए बी०ए०एम०एस०, बी०एच०एम०एस०, बी०एन०वाय०एस० एवं बी०यू०एम०एस० पाठ्यक्रमों में फीस का निर्धारण अंतरिम स्वरूप का ही किया जाना यह समिति उपयुक्त पाती है ।







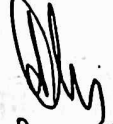
...4

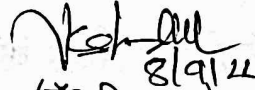
...4...

उपर्युक्त फीस अंतरिम फीस है । बी०ए०एम०एस०, बी०एच०एम०एस०, बी०एन० वाय०एस० एवं बी०यू०एम०एस० पाठ्यक्रमों के संबंध में तत्कालीन समिति द्वारा पारित संकल्प दिनांक 16/05/2019 के अंतर्गत जो शर्तें एवं निर्देश दिए गये हैं, वे बंधनकारी होंगे ।

उक्त अंतरिम फीस जो निर्धारित की गई है, की प्रति अधिनियम, 2008 की धारा 4(8) के अनुसार आवश्यक अधिसूचना हेतु सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा(आयुष) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर छ०ग० की ओर भेजी जाएं एवं एक प्रति संचालक, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी, (उ०ष) छत्तीसगढ़, पुराना नर्सिंग हॉस्टल, डी०के०एस० भवन परिसर, रायपुर छ०ग० की ओर वेबसाइट में अपलोड करने एवं शीघ्र अधिसूचना बाबत शासन से पहल करने हेतु भेजी जाएं ।


(प्रभात कुमार शास्त्री)
अध्यक्ष
एएफआरसी


(अवनीश कुमार शरण)
संचालक(तकनीकी शिक्षा)पदेन
एएफआरसी


(डॉ० विष्णु दत्त)
संचालक चिकित्सा शिक्षा)पदेन
एएफआरसी


(योगेश वर्त्यानी)
सदस्य(वित्त)
एएफआरसी